फर्द अहकाम

उरमी बनाम कुंज बिहारी

नाम न्यायालय ACM आमेर जयपुर

केस संख्या 111/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत (व.फ. उप.) वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत कुर्रेजात आपत्ति पेश किया, प्रति प्रतिवादी सं. 13 के अधिवक्ता को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस आपत्ति कुर्रेजात प्राप्त एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08/01/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	8/1/2026	पत्रावली प्रस्तुत (व.फ. उप.) बहस आपत्ति सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 12/01/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	12/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत (व.फ. उप.) पूर्वानुसार आदेश हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	16/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत (व.फ. उप.) प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों व कुर्रेजात के आधार पर आपत्ति खारिज कर तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर [illegible] डिक्री किया जाता [illegible] एवं डिक्री प्रपत्र से लिखवाया जा[illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 111/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 10.12.2024

1. मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र भोला
2. सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र भोला

समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. कुंजबिहारी पुत्र मदन लाल
2. किशन लाल पुत्र रामेश्वर (फौत)

2/1. अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल
2/2. रमेश अग्रवाल पुत्र किशन लाल
2/3. अनिता गोयल पुत्री किशन लाल पत्नी गौरीशंकर गोयल
2/4. सुनिता अग्रवाल पुत्री किशन लाल पत्नी सुरेश अग्रवाल
2/5. आशा पुत्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिती किशन लाल
2/6. लोकेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिता किशन लाल
2/7. योगेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिता किशन लाल
निवासियान 16–17 अशोक विहार वार्ड नम्बर 17, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

3. द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान
4. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र भोला
5. नारायण पुत्र तेजाराम
6. पवन कुमार पुत्र मदन लाल
7. महेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल
8. माया देवी पत्नी गोपाल कुमार
9. रामअवतार पुत्र हनुमान (फौत)

9/1. संतरा देवी अग्रवाल पत्नी रामोतार अग्रवाल निवासी शिव विहार कॉलोनी मुरलीपुरा स्कीम मुरलीपुरा जयपुर–302038
9/2. सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामोतार अग्रवाल निवासी 330–331 बालाजी रेजीडेन्सी फ्लेट नम्बर टी–2, गली नम्बर 10 सैन कॉलोनी शिव विहार रोड नम्बर 5 वीकेआई के सामने, मुरलीपुरा जयपुर।
9/3. ललित कुमार पुत्र श्री रामोतार अग्रवाल निवासी 330–331 बालाजी रेजीडेन्सी फ्लेट नम्बर टी–2, गली नम्बर 10 सैन कॉलोनी शिव विहार रोड नम्बर 5 वीकेआई के सामने, मुरलीपुरा जयपुर।
9/4. निर्मला कुमारी पत्नी सुजित कुमार अग्रवाल पुत्री रामोतार अग्रवाल निवासी नई मिसलमारी सोनितपुर आसाम–784506
9/5. आशा देवी पत्नी राजेश अग्रवाल पुत्री रामोतार अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 4 तापिल्या, जिला सीकर–332404
9/6. कृष्णा अग्रवाल पत्नी अशोक अग्रवाल पुत्री रामोतार अग्रवाल निवासी 6ए, गणेश कॉलोनी गली नम्बर 10 मेडिकल सेन्टर के पास झोटवाडा जयपुर–302016

10. विमला पत्नी विनोद कुमार
11. संतोष कुमार पुत्र हरिनारायण
12. सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

13. हीरालाल पुत्र तेजाराम
समस्त समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।
14. नितेंदर पुत्र ओमप्रकाश मोदी जाति महाजन निवासी मकान नम्बर ए—10 तुलसी नगर जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
16. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत — 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955

उपस्थिति :— (1) श्री विजय कुमार शर्मा — वादी की ओर से
(2) श्री बंशीधर जाट — प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से

निर्णय दिनांक:— 16.01.2026

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास पटवार क्षेत्र दुर्गा का बांस, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जातसू, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 46 पुराना 97 के के खसरा नम्बर 56 रकबा 0.4300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 57 रकबा 0.0400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 58 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.2500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 60 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.2500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 63 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.1000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 65 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.5300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 72 रकबा 0.5400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 73 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.1100 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 5.3700 हैक्टेयर में वादीगण का हिस्सा 1/32—1/32 निहित है, तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एंव अंकित चला आ रहा है। वादीगण उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से [illegible] राजस्व लगान अदा करता आ रहा है। 3. यह कि उपरोक्त वर्णित खसरान [illegible] "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। वाद अधीन कृषि भूमि का [illegible] विभाजन नहीं हुआ है इसलिये वादीगण एंव प्रतिवादीगण संयुक्त रूप [illegible] भूमि पर निरन्तर काबिज चलें आ रहें है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एंव अंकित चली आ रहीं है इसलिये वादीगण ने समय—समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर

में तो प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहें परन्तु अब चूँकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द एवं प्लोटिंग कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एंव विधिक रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। प्रतिवादीगण उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने एव प्रतिवादीगण विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर एंव विशिष्ठ भू–भाग पर प्लोटिंग करके विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 05–12–2024 को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो में विधिक विभाजन कराने हेतु प्रतिवादीगण ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर वह प्लॉट काटकर निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो. अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर प्लोटिंग करने, विक्रय–हस्तान्तरण एंव खुर्द–बुर्द करने एंव वादीगण को विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि प्रतिवादीगण ने कानून को ताक में रख कर कानून को हाथ में लिया है। चूँकि प्रतिवादीगण गैर कानूनी तरीके से वादीगण को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिये वादीगण वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर वादीगण विधिक विभाजन डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास पटवार हल्का दुर्गाका बास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बरान् का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण के निहित हिस्सा को वादीगण की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादीगण के हिस्से का राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक किया जावे।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: Self Attested

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/7 14, 15 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ने जवाब दावा पेश नही किया अतः दिनांक 27.08.2025 को जवाब दावा का अवसर बंद किया गया।

प्रतिवादी संख्या 5 व 13 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादपत्र का मद नम्बर 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है उक्त आराजीयात ग्राम दुर्गाकाबास तहसील जालसू में स्थित होना स्वीकार है जिसमें उत्तरदातागण का 3/8 हिस्सा निहित है। जिस पर उत्तरदाता काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नम्बर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है वादी स्वयं साबित करे। उत्तरदाता राजस्व रिकोर्ड अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वाद पत्र की मद नम्बर 3 जिस प्रकार से वर्णित है किया गया है वादी स्वयं साबित करे, मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। वाद पत्र की मद नम्बर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है तथा भूमि का पूर्व में मनबंट किया गया था जिसके अनुसार उत्तरदाता अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है उक्त सम्पूर्ण आराजीयात की उत्तरी दिशा में वादीगण एक ही जगह भूमि पर काबिज है तथा एक बोरिंग खसरा नम्बर 58 में व टीन शैड लगाकर प्रतापपुरा से कालाडेरा जाने वाली सडक से लगवा लगभग 93 मीटर पर काबिज है जो सलग्न नक्शे में हरे रंग से दशाई गई है। वाद पत्र की मद नम्बर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है तथा पूर्व में किये गये मनबंट व हिस्सेनुसार विधिक विभाजन किया जाता है तो उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है। आज दिनांक तक भी उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काश्त नहीं की गई हैं। वाद पत्र की मद नम्बर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है। दिनांक 05–12–2024 को किसी प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। बिना वाद कारण उत्पन्न हुये ही यह वाद पत्र पेश किया गया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद नम्बर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है। अस्वीकार है उत्तरदातागण का यदि पूर्व में हुये मनबंट व हाल कब्जेनुसार विभाजन किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है। वाद पत्र की मद नम्बर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है तथा वादीगण अकेले अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी नही है उत्तरदाता के हिस्से की भूमि का भी पूर्व में हुये मनबंट व कब्जे काश्त के आधार पर विधिक विभाजन किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है। वाद पत्र की मद नम्बर 9 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र की मद नम्बर 10 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है तथा उत्तरदातागण उक्त आराजी के रिर्कोडेड खातेदार कातश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर है तथा एक रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता है। इसलिये वाद काबिले खारिज है। वाद पत्र की मद नम्बर 11

सहायक कलेक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है तथा दिनांक 05–12–2024 बिना वाद कारण उत्पन्न हुये ही वाद पत्र पेश किया गया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद नम्बर 13 अस्वीकार है। तथा बिना 80 सी पी सी का नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद नम्बर 15 अस्वीकार है। न्यायशुल्क कम होने के कारण वाद खारिज किया जावे। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारीज फरमाया जाकर काउन्टरकर्ता का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

वादी की ओर से जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि काउन्टर क्लेम का मद नंबर 18 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। वादअधीन भूमि में काउन्टर क्लेमकर्ता का हिस्सा 3/8 दर्ज होना स्वीकार है परन्तु मौके पर किसी प्रकार का भनबंट होना अस्वीकार हैं। वादअधीन भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार रोड पर हिस्से अनुसार फ्रन्ट देते हुये मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाता है तो वादी/ उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं हैं। काउन्टर क्लेम का मद नंबर 19 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। चूंकि काउन्टर क्लेमकर्ता द्वारा काउन्टर क्लेम में किसी प्रकार का कोई वादकारण अंकित नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त काउन्टर क्लेम अपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि वादअधीन भूमि वर्तमान में सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादी को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि वह मिन उत्तरदाता/वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावें। काउन्टर क्लेम का मद नंबर 20 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। प्रतिवादकर्ता ने किस नियम व उप नियम के तहत कितनी कोर्ट फीस अदा की है अंकित नही की है इस कारण प्रतिवादकर्ता का प्रतिवाद खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः जवाब काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अस्वीकार करते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस किये गये कथनो,दस्तावेजो एवं काण्उटरक्लेम को ध्यान में रखते हुये वाद कब्जे–काश्त के मध्यनजर उभयपक्षो को बाद विभाजन अपने हिस्से की भूमि पर पहुंचने हेतु सुगम रास्ता प्रदान करते हुए, बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार जालसू जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम दुर्गा का बास पटवार क्षेत्र दुर्गा का बांस, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या नया 46 पुराना 97 के के खसरा नम्बर 56 रकबा 0.4300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 57 रकबा 0.0400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 58 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.2500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 60 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर ,62 रकबा 0.2500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 63 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

म्बर 64 रकबा 0.1000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 65 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.5300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 72 रकबा 0.5400 हेक्टेयर खसरा नम्बर 73 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.1100 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 5.3700 हैक्टेयर का राज. टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना कर जमाबंदी में समान हिस्सेनुसार, उभयपक्ष को नोटिस देकर विभाजन कुर्रेजात तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर शीघ्र इस न्यायालय में प्रेषित करें। प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार जालसू जयपुर को कुर्रेजात हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/5372 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादीगण ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 29–12–2025 पर मुख्य रूप से यह आपत्तियां दर्ज कराई हैं कि: (1) मौका निरीक्षण के समय उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, (2) प्रतिवादी संख्या 4 से मिलीभगत कर रिपोर्ट तैयार की गई, और (3) वादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 12 का हिस्सा भी शामलाती रखा है जो विधि विरुद्ध है ।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मौका नक्शा और तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट का गहनता से विश्लेषण किया वर्तमान प्रकरण में आपित्तकर्ता द्वारा केवल मौखिक कथन एवं सामान्य आरोप लगाए है। आपत्ति के समर्थन में न तो कोई वैकल्पिक साक्ष्य पेश किये है ना कोई दस्तावेज एवं सबूत कि कुर्रेजात रिपोर्ट किसी दुर्भावना, नियम उल्लंघन अथवा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तैयार की गई हो। प्रारंभिक डिक्री में स्पष्ट आदेश था कि बंटवारा "कब्जे काश्त" को ध्यान में रखते हुए किया जाए । तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे में विवादित आराजी का भौतिक विभाजन पक्षकारों के वर्तमान कब्जे और सुगम रास्ते की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। जो कि भूमि के उचित उपयोग और काश्तकारी नियमों (Rule 18–21 of Tenancy Rules) के अनुकूल प्रतीत होते हैं। मात्र मौखिक कथन के आधार पर एक लोक सेवक (Public Servant) द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की गई रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत शासकीय कार्यों की सत्यता की उपधारणा (Presumption of Correctness) होती है, जब तक कि उसे ठोस सबूतों से खंडित न किया जाए। तहसीलदार की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि मौका मुआयना स्थानीय पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार किया गया है। नक्शे में सभी पक्षकारों के नाम और हिस्से का स्पष्ट अंकन है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति केवल बंटवारा प्रक्रिया को विलंबित करने का एक प्रयास प्रतीत होती है, क्योंकि प्रस्तावित नक्शा सभी खातेदारों को सड़क/रास्ते की सुविधा समान रूप से प्रदान करता है। फलस्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

किया जाकर तहसीलदार जालसू द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात के आधार पर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. मुरारी अग्रवाल पुत्र भोला हि. 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार, सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र भोला हि. 1/3 जाति महाजन सा.देह खातेदार, सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोला हि. 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 60/1 रकबा 0.28 है., 62 रकबा 0.03 है., 63/1 रकबा 0.1935 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.5035 है. भूमि रहेगी।

2. दिनेश पुत्र भोलाराम जाति महाजन सा. देह के हिस्से खसरा नंबर 61 रकबा 0.22 है., 62/2 रकबा 0.1715 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.3915 है. भूमि रहेगी।

3. हीरालाल पुत्र तेजाराम हि. 1/2 जाति जाट निवासी ग्राम हातोज राहिन एस.बी.आई. चौमूं, नारायण पुत्र तेजाराम हि. 1/2 जाति जाट निवासी हातोज, एसबीआई शाखा चौंमू के हिस्से खसरा नंबर 56 रकबा 0.43 है., 57 रकबा 0.04 है., 58/1 रकबा 0.1337 है., 59/1 रकबा 0.1100 है., 71/1 रकबा 0.06 है., 72 रकबा 0.54 है., 73 रकबा 0.23 है., 94 रकबा 0.18 है., 95 रकबा 0.18 है., 96 रकबा 0.11 है. कुल किता 10 रकबा 2.0137 है. भूमि रहेगी।

4. अनिता गोयल पुत्री किशनलाल हि. 192/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, अनिल गोयल पुत्र किशनलाल हि. 192/22378 है., सुनिता अग्रवाल पुत्री किशनलाल हि. 192/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, रमेश कुमार पुत्र किशनलाल हि. 192/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, आशा अग्रवाल पुत्री महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हि. 64/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, योगेन्द्र अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हि. 64/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, लोकेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हि. 64/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, कुंजबिहारी पुत्र मदनलाल हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह खातेदार, पवन कुमार मदनलाल हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह खातेदार, महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह खातेदार, माया देवी पत्नी गोपाल कुमार हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह, रामवतार पुत्र हनुमान हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह, विमला देवी पत्नी विनोद कुमार हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह, संतोष कुमार पुत्र हरिनारायण हि. 4475/44[illegible] जाति महाजन सा. देह, नितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश मोदी हि. 5753/22378 जाति महा[illegible] म[illegible] संख्या ए–10 कॉलोनी तुलसी नगर जयपुर 302016 के हिस्से खसरा नंबर 58/[illegible] रकबा 0.3063 है., 59/2 रकबा 0.1400 है., 60/2 रकबा 0.1600 है., 62/3 रकबा 0.0485 है., 64 रकबा 0.1000 है., 63/2 रकबा 0.2065 है., 65/2 रकबा 0.0500 है., 66/[illegible] रकबा 0.0665 है., 67 रकबा 0.1600 हैं., 68 रकबा 0.1500 है., 69 रकबा 0.1700 है., 70 रकबा 0.2100 है., 71/2 रकबा 0.4700 है. कुल किता 13 कुल रकबा 2.2378 है. भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 65/1 रकबा 0.1000 है., 66/1 रकबा 0.1235 है, कुल किता 2 कुल रकबा 0.1235 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदद्मा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 111/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 10.12.2024

1. मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र भोला
2. सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र भोला

समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. कुंजबिहारी पुत्र मदन लाल
2. किशन लाल पुत्र रामेश्वर (फौत)

2/1. अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशन लाल
2/2. रमेश अग्रवाल पुत्र किशन लाल
2/3. अनिता गोयल पुत्री किशन लाल पत्नी गौरीशंकर गोयल
2/4. सुनिता अग्रवाल पुत्री किशन लाल पत्नी सुरेश अग्रवाल
2/5. आशा पुत्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिती किशन लाल
2/6. लोकेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिता किशन लाल
2/7. योगेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिता किशन लाल
निवासियान 16–17 अशोक विहार वार्ड नम्बर 17, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

3. द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान
4. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र भोला
5. नारायण पुत्र तेजाराम
6. पवन कुमार पुत्र मदन लाल
7. महेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल
8. माया देवी पत्नी गोपाल कुमार
9. रामअवतार पुत्र हनुमान (फौत)

9/1. संतरा देवी अग्रवाल पत्नी रामोतार अग्रवाल निवासी शिव विहार कॉलोनी मुरलीपुरा स्कीम मुरलीपुरा जयपुर–302038
9/2. सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामोतार अग्रवाल निवासी 330–331 बालाजी रेजीडेन्सी फ्लेट नम्बर टी–2, गली नम्बर 10 सैन कॉलोनी शिव विहार रोड नम्बर 5 वीकेआई के सामने, मुरलीपुरा जयपुर।
9/3. ललित कुमार पुत्र श्री रामोतार अग्रवाल निवासी 330–331 बालाजी रेजीडेन्सी फ्लेट नम्बर टी–2, गली नम्बर 10 सैन कॉलोनी शिव विहार रोड नम्बर 5 वीकेआई के सामने, मुरलीपुरा जयपुर।
9/4. निर्मला कुमारी पत्नी सुजित कुमार अग्रवाल पुत्री रामोतार अग्रवाल निवासी नई मिसलमारी सोनितपुर आसाम–784506
9/5. आशा देवी पत्नी राजेश अग्रवाल पुत्री रामोतार अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 4 तापिल्या, जिला सीकर–332404
9/6. कृष्णा अग्रवाल पत्नी अशोक अग्रवाल पुत्री रामोतार अग्रवाल निवासी 6ए, गणेश कॉलोनी गली नम्बर 10 मेडिकल सेन्टर के पास झोटवाडा जयपुर–302016

10. विमला पत्नी विनोद कुमार
11. संतोष कुमार पुत्र हरिनारायण
12. सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर नं० मु० जयपुर

3. हीरालाल पुत्र तेजाराम
समस्त समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर।
14. नितेंदर पुत्र ओमप्रकाश मोदी जाति महाजन निवासी मकान नम्बर ए–10 तुलसी नगर जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
16. उप पॅजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. मुरारी अग्रवाल पुत्र भोला हि. 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार, सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र भोला हि. 1/3 जाति महाजन सा.देह खातेदार, सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोला हि. 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 60/1 रकबा 0.28 है., 62 रकबा 0.03 है., 63/1 रकबा 0.1935 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.5035 है. भूमि रहेगी।
2. दिनेश पुत्र भोलाराम जाति महाजन सा. देह के हिस्से खसरा नंबर 61 रकबा 0.22 है., 62/2 रकबा 0.1715 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.3915 है. भूमि रहेगी।
3. हीरालाल पुत्र तेजाराम हि. 1/2 जाति जाट निवासी ग्राम हातोज राहिन एस.बी.आई. चौमूं, नारायण पुत्र तेजाराम हि. 1/2 जाति जाट निवासी हातोज, एसबीआई शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 56 रकबा 0.43 है., 57 रकबा 0.04 है., 58/1 रकबा 0.1337 है., 59/1 रकबा 0.1100 है., 71/1 रकबा 0.06 है., 72 रकबा 0.54 है., 73 रकबा 0.23 है., 94 रकबा 0.18 है., 95 रकबा 0.18 है., 96 रकबा 0.11 है. कुल किता 10 रकबा 2.0137 है. भूमि रहेगी।
4. अनिता गोयल पुत्री किशनलाल हि. 192/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, अनिल गोयल पुत्र किशनलाल हि. 192/22378 है., सुनिता अग्रवाल पुत्री किशनलाल हि. 192/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, रमेश कुमार पुत्र किशनलाल हि. 192/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, आशा अग्रवाल पुत्री महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हि. 64/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, [illegible] अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हि. 64/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, लोकेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हि. 64/22378 जाति महाजन सा. देह खातेदार, कुंजबिहारी पुत्र मदनलाल हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह खातेदार, पवन कुमार मदनलाल हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह खातेदार, महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह खातेदार, माया देवी पत्नी गोपाल कुमार हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह, रामवतार पुत्र हनुमान हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह, विमला देवी पत्नी विनोद कुमार हि. 4475/44756 जाति महाजन सा.

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

देह, संतोष कुमार पुत्र हरिनारायण हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह, नितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश मोदी हि. 5753/22378 जाति महाजन मकान संख्या ए–10 कॉलोनी तुलसी नगर जयपुर 302016 के हिस्से खसरा नंबर 58/2 रकवा 0.3063 है., 59/2 रकबा 0.1400 है., 60/2 रकबा 0.1600 है., 62/3 रकबा 0.0485 है., 64 रकबा 0.1000 है., 63/2 रकबा 0.2065 है., 65/2 रकबा 0.0500 है., 66/2 रकबा 0.0665 है., 67 रकबा 0.1600 है., 68 रकबा 0.1500 है., 69 रकबा 0.1700 है., 70 रकबा 0.2100 है., 71/2 रकबा 0.4700 है. कुल किता 13 कुल रकबा 2.2378 है. भूमि रहेगी।

5. द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान हि. 4475/44756 जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 65/1 रकबा 0.1000 है., 66/1 रकबा 0.1235 है, कुल किता 2 कुल रकबा 0.1235 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख **16.01.2026** को जारी किया।

दस्तखत––––
ओहदा––––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	4 रूपये	
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर